न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

रुपाराम पुत्र गलबाराम जी, जाति–सुथार, निवासी– सुथार वास, बारेवडा, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, मोरली जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत,मोरली, तह0 शिवगंज, जिला–सिरोही
2. भंवरलाल पुत्र वागाराम जी, जाति–सुथार, निवासी– सुथार वास, बारेवडा, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही (राज.)
3. भरत कुमार पुत्र वागाराम जी, जाति–सुथार, निवासी– सुथार वास, बारेवडा, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही (राज.)
4. ईश्वरलाल पुत्र वागाराम जी, जाति–सुथार, निवासी– सुथार वास, बारेवडा, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्याः 104/2025

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह देवड़ा, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 13 फरवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा श्री वागा पुत्र देवाजी सुथार, निवासी– बारेवडा के पक्ष में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 2508 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा विलेख संख्या 31 दिनांक 06–10–1980 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ग्राम पंचायत, मोरली के सरपंच को व अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) भरत कुमार को नोटिस की व्यक्तिशः तामिल होने तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 4 क्रमशः भंवरलाल व ईश्वरलाल को नोटिस की पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 13–2–2026 को प्रार्थी निगरानीकार के अधिवक्ता श्री देवड़ा की बहस सुनी गई।

(3) बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा दिनांक 06–10–1980 को अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता वागाराम पुत्र देवाजी सुथार, निवासी– बारेवडा के नाम से राजस्थान पंचायत एवं न्याय पं.सं. नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत पट्टा संख्या 31 जारी किया गया था जिसके मिसल संख्या 48/79–80 है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता वागाराम पुत्र देवाजी सुथार, निवासी बारेवडा के नाम से जारी किया है, उक्त भूमि प्रार्थी रुपाराम व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता गलबा जी सुथार की संयुक्त शामलाती स्वामित्व की पुश्तैनी भूमि है। प्रार्थी रुपाराम व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के दादा देवाजी सुथार के दो पुत्र वागाराम (अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता) व गलबाराम (प्रार्थी के पिता) थे जिसमें से प्रार्थी के पिता गलबाराम की मृत्यु करीब 50 वर्ष पूर्व हो चुकी थी जिससे अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता वागाराम सुथार परिवार

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

में मुखिया थे तथा गलबाराम के मात्र प्रार्थी रूपाराम ही वारिसान था जो गलबाराम की मृत्यु के समय करीब 6 माह का ही था जिससे उक्त संयुक्त स्वामित्व की शामलाती पुश्तैनी भूमि का वागाराम जी ने ग्राम पंचायत, मोरली से मेल मिलाप कर पट्टा संख्या 31 दिनांक 06–10–1980 को जारी करवाया था। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता वागाराम जी की मृत्यु दिनांक 18–6–2011 को हो चुकी है। ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा वागाराम पुत्र देवाजी सुथार के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व देवाजी के वारिसानों व स्वामित्व की जांच नही की है तथा विधि के प्रावधनों के विपरित पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत मोरली द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता वागाराम जी का उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कोई कब्जा नही रहा हैं व न ही सम्पूर्ण भूमि के मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 काबिज है, बल्कि गलबाराम व वागाराम दोनो का उक्त प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि में बराबर बराबर आधा आधा हक हिस्सा था जो आज भी मौके पर दो भागों में देवाजी सुथार के दोनों पुत्रों वागाराम व गलबाराम के अलग–अलग मकान निर्मित है व मौके पर निवास कर रहे है। ग्राम पंचायत मोरली द्वारा मौके की जांच किये बिना ही व अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा नहीं होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता वागाराम के नाम पट्टा संख्या 31 जारी किया है जो विधि विरूद्ध है। उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 31 की कुल भूमि 2508 वर्गफीट है जो अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता वागाराम के नाम जारी किया गया है जिसमें प्रार्थी रूपाराम के दादा देवाजी के सम्पूर्ण भूमि का 1/2 हिस्सा प्रार्थी के पिता गलबाराम के हिस्से में आता है जिसके संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता वागाराम पुत्र देवाजी सुथार द्वारा प्रार्थी रूपाराम पुत्र गलबा जी सुथार के हक में दिनांक 24–08–2007 को आपसी बंटवाड विलेख निष्पादित किया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता का हिस्सा 1254 वर्गफीट होता है लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता वागाराम पुत्र देवाजी सुथार ने प्रार्थी के हक में 1207 वर्गफीट का आपसी बंटवाड विलेख निष्पादित कर दिया। उक्त आपसी बंटवाड़ में स्पष्ट रूप से प्रार्थी रूपाराम के हक हिस्से के भाग की चारों दिशा व नाप दर्शित है जो उत्तर में 55 फीट, दक्षिण में 60 फीट, पूर्व में 20 फीट व पश्चिम में 22 फीट कुल क्षेत्रफल 1207–06 वर्गफीट है तथा चतुदर्शी उत्तर दिशा में शंकरलाल पुत्र गलबाजी सरगडा का मकान, दक्षिण में उपरोक्त पट्टा शुदा मकान का आधा हिस्सा जो वागाराम के हिस्से में आया है, पूर्व में आम रास्ता व मकान का निकाल व पश्चिम में आम रास्ता व मकान का निकाल है। उक्त आपसी बंटवाड विलेख के अनुसार दक्षिण तरफ का आधा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता वागाराम जी पुत्र देवाजी सुथार के हिस्से में आया भाग तथा उत्तर का आधा हिस्सा मकान प्रार्थी रूपाराम के हिस्से में आया हुआ है। इस प्रकार, उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 31 दिनांक 06–10–1980 की सम्पूर्ण भूमि में से आधे भाग पर प्रार्थी रुपाराम काबिज हैं जिस पर प्रार्थी रुपाराम का मकान निर्माण किया हुआ है तथा आधे हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता वागाराम जी काबिज थे व इनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 2 से 4 काबिज है। उपरोक्त पुश्तैनी स्वामित्व की भूमि का अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता वागाराम पुत्र देवाजी सुथार के नाम से ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा गलत रुप से पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता वागाराम का उपरोक्त पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता अपने अपने हिस्से में अलग अलग शुरूआत से ही काबिज है तथा आपसी बंटवाडनामे के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 के पिता वागाराम स्वयं ने प्रार्थी रुपाराम के आधे हिस्से का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा वागाराम पुत्र देवाजी सुथार, निवासी– बारेवडा के हक में जारी पट्टा विलेख संख्या 31 दिनांक 06–10–1980 को निरस्त किया जावे।

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा श्री वागा पुत्र देवाजी सुथार, निवासी– बारेवडा के हक में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के तहत क्षेत्रफल 2508 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या 31 दिनांक 06–10–1980 को जारी किया गया है, जिसके मिसल संख्या 48/79–80 अंकित है। उक्त पट्टे पर पट्टा नम्बर 45 लिखे हुये थे, जिसको कांटकर पट्टा संख्या 31 अंकित गया है। उक्त पट्टे पर अंकित चतुर्दशी अनुसार पूर्व दिशा में रास्ता, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में शंकर पुत्र गलबा हीरागर व दक्षिण में ओटा पुत्र नारायण सुथार अंकित है व नाप उत्तर 55 फीट, दक्षिण 64 फीट, पूर्व 40 फीट व पश्चिम 44 फीट कुल क्षेत्रफल 2508 अंकित है।

इस संबंध में प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में वागाराम पुत्र देवाजी, जाति– सुथार, निवासी– बारेवडा, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही द्वारा प्रार्थी रुपाराम पुत्र गलबाजी, जाति– सुथार, निवासी– बारेवडा के हक में रुबरु गवाह के निष्पादित, आपसी बंटवाड विलेख दिनांक 24–08–2007 की छाया प्रति व विद्युत बिल की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त आपसी बंटवाड विलेख दिनांक 24–8–2007 के अवलोकन से यह पाया गया कि वागाराम तथा रुपाराम के पिता गलबाजी दोनों सगे भाई है एवं स्वर्गीय देवाजी के जायन्दा पुत्रगण है। दोनों भाईयों का परिवार काफी समय तक संयुक्त आपसी हिन्दू परिवार की हैसियत से रहवास करते आ रहे थे एवं करीब 30 साल पूर्व दोनों भाईयों ने आपस में बैठकर संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति के जो दो मकान ग्राम बारेवडा में आये हुये है, उन मकानों का आपसी बंटवाड कर लिया था एवं उस समय से ही प्रत्येक हिस्सेदार अपने अपने हिस्सा मकान पर काबिज हो गये थे एवं इसके बाद रुपाराम के पिताजी गलबाजी का स्वर्गवास हो गया एवं उनकी सम्पति का वारिसदार रुपाराम हुआ। पूर्व में जो बंटवाड हुआ था वह आपसी मौखिक तौर से हुआ था एवं किसी तरह कोई लिखित बंटवाड नही होने से पूर्व में हुये मौखिक बंटवाड का लिखित दानों पक्षों के मध्य किया गया। जिसके अनुसार ग्राम बारेवडा में सुथारों की गली में एक आबादी मकान का परिसर सम्पूर्ण लम्बा उत्तर तरफ 55 फुट, दक्षिण तरफ 64 फुट एवं चौडा पूर्व तरफ 40 फुट व पश्चिम तरफ 44 फुट कुल 2508 वर्गफुट का है, उक्त आबादी मकान का असल पट्टा विलेख नंबरी 45 मिसल संख्या 48/79–80 दिनांक 06–10–1980 का ग्राम पंचायत, मोरली से वागाराम के नाम से बना हुआ है। आपसी बंटवाड मुजब उक्त सम्पूर्ण मकान में से दक्षिण तरफ का आधा हिस्सा मकान वागाराम के हिस्से में आया है तथा उत्तर तरफ का आधा हिस्सा मकान रुपाराम को बंट में दिया गया है, रुपाराम के बंट में आये आधा हिस्सा मकान का नाप उत्तर 55 फुट, दक्षिण 60 फुट, पूर्व 20 फुट व पश्चिम 20 फुट कुल क्षेत्रफल 1207–06 वर्गफट है व चतुर्दशी उत्तर में शंकरलाल गलबाजी सरगडा का मकान, दक्षिण में इसी मकान का आधा हिस्सा मकान जो वागाराम के हिस्से में आया है, पूर्व में आम रास्ता एवं मकान का निकाल व पश्चिम में आम रास्ता एवं मकान का निकाल है।

इस प्रकार, उक्त आपसी बंटवाड विलेख दिनांक 24–8–2007 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा वागाराम पुत्र देवाजी सुथार, निवासी– बारेवडा के हक में क्षेत्रफल 2508 वर्गफीट भूमि का जो पट्टा संख्या 31 दिनांक 06–10–1980 (जिसके मिसल संख्या 48/79–80 है) जारी किया गया है वह प्रार्थी के पिता गलबाजी व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता वागाराम जी के संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है एवं उक्त पट्टेशुदा सम्पति में से उक्त 1207–06 वर्गफीट (जो आपसी बंटवाड विलेख में अंकित है) आधा हिस्से की भूमि का मकान प्रार्थी रुपाराम के पिता गलबाजी पुत्र देवाजी सुथार के हक हिस्से की है, जिसका वागाराम पुत्र देवाजी सुथार,

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सत्यमेव जयते ... सिरोही

निवासी– बारेवडा द्वारा प्रार्थी रुपाराम पुत्र गलबाजी सुथार के हक में आपसी बंटवाड विलेख दिनांक 24–8–2007 को रुबरु गवाह के निष्पादित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विद्युत बिल माह मई, 2016 की प्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी रुपाराम द्वारा उसके पिता गलबा जी सुथार के आधे हिस्से के मकान में विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, मोरली को प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके पर कब्जे की जांच करके मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार पुनः पट्टा जारी करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मोरली द्वारा श्री वागा पुत्र देवाजी सुथार, निवासी– बारेवडा के हक में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 2508 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 06–10–1980 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, मोरली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त पट्टेशुदा भूमि के मौके पर कब्जे के संबंध में जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए मौके पर पक्षकारान के कब्जे व हक हिस्से अनुसार पुनः नियमानुसार पट्टा जारी करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 फरवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही